HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 2552/2014

Birdaram S/o Hukmaram, R/o Village Nituti, Tehsil Kishangarh, District Ajmer.

----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan

----Respondent

Rajasthan High Court
Web Copy - Not Official

For Petitioner(s)	:	Mr. Umesh Shrimali
For Respondent(s)	:	Mr. Sharwan Bishnoi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Judgment

Order Reserved on 08/07/2024

Date of Pronouncement 12/07/2024

Reportable

01. याची की ओर से यह याचिका विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, भीलवाड़ा के आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.09.2014 में वाहन के Confiscation के आदेश की हद तक निर्णय निरस्त किये जाने और स्वतंत्र रूप से याची को सुनवाई का अवसर देते हुये जांच किये जाने का आदेश दिये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, भीलवाड़ा के समक्ष सेशन प्रकरण संख्या 41/2013, बअनवान राजस्थान राज्य बनाम सोहनराम वगैरा, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 व 8/25 एनडीपीएस एक्ट में विचाराधीन था, जिसमें बाद विचारण दिनांक 10.09.2014 को निर्णय पारित करते हुये सोहनराम जाट अभियुक्त को धारा 8/15 व 8/25 एनडीपीएस एक्ट में दोषमुक्त करार दिया गया तथा इस प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या आरजे–01–जीबी–0663 के Confiscation का आदेश दिया गया और एस.एच.ओ. पीएस कोटड़ी को वाहन को नीलाम कर राशि न्यायालय में जमा कराने का आदेश दिया गया। याची द्वारा Confiscation के आदेश की हद तक ही यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

(Downloaded on 02/01/2025 at 12:17:45 PM)

03. याची द्वारा अपनी याचिका में यह निवेदन किया गया है कि धारा 60 व 63 एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक याची को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आदेश पारित किया गया है और याची वह व्यक्ति है, जो वाहन पर अपना अधिकार क्लैम कर सकता है। इस मामले में वाहन Abandoned कंडीशन में बरामद हुआ है और पी.डब्ल्यू.12 बिरदाराम याची की साक्ष्य के मुताबिक साक्षी ने गोविन्द राम को वाहन दिया हुआ था और गोविन्द राम द्वारा कुछ खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर यह कहा कि वह वाहन को रिलिज करवा लेगा। इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि याची को कोई ज्ञान इस संबंध में नहीं था कि उसका वाहन मादक पदार्थ के परिवहन में उपयोग किया गया है और न ही कोई कंट्रोल वाहन पर याची का था। इस मामले में जब सोहनराम को दोषमुक्त करार दिया गया है, उस अवस्था में वाहन मालिक को वाहन के अपराध में संलिप्त होने की जानकारी होने की अभिधारणा नहीं की जा सकती। वाहन के Confiscation के संबंध में भी स्वतंत्र जांच करनी चाहिये थी और याची को सुनवाई का अवसर देना चाहिये था, जो नहीं दिया गया। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर पुनः धारा 60 व 63 एनडीपीएस एक्ट के तहत स्वतंत्र जांच कर याची को सुनवाई का अवसर देकर Confiscation के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही किये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

04. बहस याचिका सुनी गई।

05. योग्य अधिवक्ता याची द्वारा दौराने बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याची वाहन का पंजीकृत स्वामी है और पंजीकृत स्वामी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर जो धारा 60 व 63 एनडीपीएस एक्ट के तहत आदेश पारित किया गया है, वह विधिसम्मत नहीं है, जिसे निरस्त किया जावे और याची को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण करने का निर्देश विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को दिया जावे। अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत Smt Gawari Vs. State Of Rajasthan, SB Criminal Misc. Petition No. 1351/2011 निर्णय दिनांक 18.01.2012 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।

06. योग्य लोक अभियोजक द्वारा इसका सख्त विरोध करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का Confiscation के संबंध में दिये गये आदेश को विधिसम्मत ठहराया है।

07. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

(Downloaded on 02/01/2025 at 12:17:45 PM)

08. इस संबंध में विधिक स्थिति पर सर्वप्रथम विचार किया जा रहा है। योग्य अधिवक्ता याची की ओर से प्रस्तुत श्रीमती गवरी (पूर्वोक्त) वाले मामले में धारा 60 व 63 एनडीपीएस एक्ट पर विचार किया गया।

09. उक्त मामले में विचारण समाप्त होने के पश्चात् धारा 63 एनडीपीएस एक्ट के तहत याची श्रीमती गवरी को नोटिस दिया गया था। याची विचारण न्यायालय में उपस्थित हुई और अपनी साक्ष्य दी, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वाहन के संबंध में कोई आदेश पारित न कर अपील के निर्णय तक पत्रावली रिकॉर्ड शाखा में भिजवा दी गई और वाहन लगातार पुलिस अभिरक्षा में रहा, जिस पर इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.01.2012 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि Confiscation के संबंध में स्वतंत्र जांच किये जाने का प्रावधान है। फौजदारी प्रकरण का निर्णय दोषमुक्ति या दोषसिद्धी जो भी हो, वह Confiscation कार्यवाही हेतु सुसंगत नहीं है। ऐसी अवस्था में अपील के निर्णय तक Confiscation के संबंध में जांच निस्तारित नहीं करना विधिसम्मत नहीं है और विचारण न्यायालय को यह आदेश दिया गया कि Confiscation कार्यवाही के संबंध में कार्यवाही अलग से की जाकर वाहन के संबंध में निस्तारण करें।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायिक दृष्टांत Pukhraj Vs. State of Rajasthan, Criminal Appeal No 2562/2024, आदेश दिनांक 14.05.2024 में धारा 63 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान पर विचार किया गया। इस मामले में अपीलार्थी वाहन (डम्पर) का रजिस्टर्ड स्वामी था और विचारण न्यायालय द्वारा दो सह–अभियुक्तगण को इस मामले में दोषमुक्त कर पुलिस अधिकारी को वाहन की नीलामी कर State Treasury में रकम जमा करवाने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी को इस मामले में मफरूर घोषित किया गया था, जो बाद में न्यायालय में उपस्थित आया और अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी गई, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को SB Criminal Revision Petition No 521/2021 का निस्तारण करते हुये निगरानी खारिज की और विचारण न्यायालय के वाहन (डम्पर) Confiscation के आदेश को यथावत् रखा, जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी अपील में पैरा संख्या 12 लगायत पैरा संख्या 16 में निम्नानुसार विवेचन कर आदेश पारित किया गया है:–

> "12 Section 63 of the NDPS Act reads thus:
>
> > "**63. Procedure in making confiscation.**—(1) In the trial of offences under this Act, whether the accused is convicted or acquitted or discharged, the court shall decide whether any article or thing seized under this Act is liable to

(Downloaded on 02/01/2025 at 12:17:45 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

> confiscation under Section 60 or Section 61 or Section 62 and, if it decides that the article is so liable, it may order confiscation accordingly.
>
> (2) Where any article or thing seized under this Act appears to be liable to confiscation under Section 60 or Section 61 or Section 62, but the person who committed the offence in connection therewith is not known or cannot be found, the court may inquire into and decide such liability, and may order confiscation accordingly:
>
> Provided that no order of confiscation of an article or thing shall be made until the expiry of one month from the date of seizure, or without hearing any person who may claim any right thereto and the evidence, if any, which he produces in respect of his claim:
>
> Provided further that if any such article or thing, other than a narcotic drug, psychotropic substance [controlled substance] the opium poppy, coca plant or cannabis plant is liable to speedy and natural decay, or if the court is of opinion that it sale would be for the benefit of its owner, it may at any time direct it to be sold; and the provisions of this sub-section shall, as nearly as may be practicable, apply to the net proceeds of the sale."

13 The plain reading of Section 63 indicates that the court cannot order confiscation of an article until the expiry of one month from the date of seizure or without hearing any person who may claim any right thereto. It is true that at the time of the order of confiscation of the dumper, the appellant herein was not arrested. Had he been put to trial along with the other two coaccused, probably he would have submitted before the trial court why the confiscation order may not be passed.

14 The fact remains that the appellant is the registered owner of the dumper. In terms of the provisions of Section 63 of the NDPS Act, the appellant has a right to be heard by the court before the final order of confiscation is passed and the seized vehicle is put to auction.

15 In such circumstances, we set aside the order passed by the trial court dated 22 February 2021 in Sessions Case No 17 of 2017 to the extent it orders confiscation and auction of the dumper. The trial court shall given an opportunity of hearing to the appellant herein in this regard and, thereafter, proceed to pass a fresh order in accordance with law.

16 The appellant shall prefer an appropriate application before the trial court within a period of six weeks from today to give him an opportunity of hearing so far as the issue of confiscation of dumper is concerned. Once such an application comes on record, the trial court shall proceed to hear the appellant and pass a fresh order within a period of two weeks thereafter."

(Downloaded on 02/01/2025 at 12:17:45 PM)

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जो विधिक स्थिति स्पष्ट की गई है, उसके मुताबिक रजिस्टर्ड स्वामी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस मामले में याची वाहन संख्या आरजे–01–जीबी–0663 का रजिस्टर्ड स्वामी है। ऐसी अवस्था में रजिस्टर्ड स्वामी को Confiscation के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है और इस न्यायालय की समकक्ष पीठ के श्रीमती गवरी वाले निर्णय के मुताबिक Confiscation के संबंध में स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिये थी, जो इस मामले में नहीं की गई और अभियुक्त सोहनराम जाट के दोषमुक्ति के निर्णय दिनांक 10.09.2014 के साथ ही Confiscation का आदेश दे दिया गया। ऐसी अवस्था में Confiscation के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित निर्णय में आदेश दिया गया है, उस हद तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है और याची की याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

12. अतः याची की याचिका स्वीकार की जाकर वाहन संख्या आरजे–01–जीबी–0663 के संबंध में आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.09.2014 में जो Confiscation का आदेश किया गया और वाहन को नीलाम कर रकम न्यायालय में जमा करवाने का आदेश दिया गया, उस हद तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, एनडीपीएस प्रकरण, भीलवाड़ा के आक्षेपित निर्णय दिनांक 10.09.2014 को निरस्त किया जाता है और याची को आदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष छः सप्ताह के भीतर इस संबंध में समुचित आधार वर्णित करते हुये आवेदन पेश करें। विद्वान विचारण न्यायालय याची को सुनवाई का अवसर देकर आवेदन को धारा 60 व 63 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानानुसार यथाशीघ्र निस्तारण करें। तद्नुसार स्थगन प्रार्थना पत्र भी निस्तारित किया जाता है।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

10-GauravG/-

(Downloaded on 02/01/2025 at 12:17:45 PM)